न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस**

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 55/202 (पुराना) तथा 87/2022 (इस न्यायालय का)

दर्ज दिनांकः– 30.09.2021

1. कैलाश चन्द पुत्र घीसालाल शर्मा
2. मोहनलाल पुत्र घीसालाल शर्मा
3. ओमप्रकाश पुत्र घीसालाल शर्मा
4. सत्यनारायण पुत्र घीसालाल शर्मा

समस्त जाति ब्राह्मण नि0 ढींढा तह0 फुलेरा हाल जोबनेर जिला जयपुर

........प्रार्थीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा हाल जोबनेर, जिला जयपुर

........अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल .आर. एक्ट</u>

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. सरकार पैरोकार वास्ते अप्रार्थी सं. 1

निर्णय दिनांकः–12.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट ढींढा में पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेशानुसार उक्त प्रकरण हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नं0 330, 331/1, 331/2 वाकै ग्राम ढींढा तहसील फुलेरा हाल जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसका तकासमा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में दिनांक 21.06.2018 को हुआ था। पक्षकारान प्रार्थीगण के मध्य सहमति से तकासमा होकर पृथक पृथक खाते किये गये थे और आराजी में स्थित चाह 331/2 तथा पक्षकारो के आने जाने हेतु रास्ते हेतु खसरा नंबर 632/331 रकबा 5 बिस्वा बराबर बराबर हिस्से में कायम किया गया था और नक्शा भी रास्ते अनुसार बनाया गया था जिस पर सभी पक्षकारो ने आपसी सहमति से हस्ताक्षर किये थे। परन्तु नक्शो के डिजीटल लाईजेसन व सेकरीगेशन होने के दौरान हम पक्षकारो के आने जाने हेतु तय खसरा नं0 632/331 को कम कर दिया और शेष रास्ता खसरा नं0 629/331 की सीमा में मिला दिया गया। जिससे खसरा नं0 629/331 के नक्शे को देखने से प्रतीत

होता है कि रास्ते का भाग भी इसी खसरा नंबर में सम्मिलित हो गया है। क्योंकि डिजीटल लाईजेसन होने के दौरान खसरा नं0 629/331 की दक्षिणी पूर्वी कोने पर सीमा रेखा नहीं खेची गयी जिससे रास्ते का क्षेत्र भी इस नंबर में मिला हुआ प्रतीत हो गया। उक्त त्रुटि का पता जमाबंदी व राजस्व नक्शे की नकल ऑनलाईन निकलवाने पर पता चाला, जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं0 332/331 व 629/331 वाकै ग्राम ढींढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. की सीमा में हुयी त्रुटि को सुधार कर दिनांक 21.06.2018 को किये गये विभाजन के अनुसार दुरूस्त करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्रांक कैम्प/2023/07 दिनांक 11.05.2023 द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– राजस्व ग्राम ढीण्ढा की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 119 पर खसरा नं0 331/2 व 632/331 किता 2 रकबा 0.0758 है0 मोहनलाल, कैलाशचन्द, ओमप्रकाश, सत्यनारायण पुत्रान घिसालाल के नाम रिकार्ड दर्ज है। आराजी जमाबंदी संवत 2078 ग्राम ढीण्ढा के राजस्व नक्शा शीट को ऑनलाईन करने के दौरान सहवन से खसरा नं0 632/331 व खसरा नं0 629/331 नक्शा शीट में शामिल हो गया। शामिल नक्शा शीट व नामान्करण 982 दिनांक 26.06.2018 में आपसी सहमति विभाजन राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपेक द्वार 2018 में लगा प्रस्तावित नक्शा तरमीम में खसरा नं0 629/331 व 632/331 का प्रस्तावित तरमीम अलग है। साबिक नक्शा शीट अनुसार वर्तमान नक्शा शिट में इन्द्राज किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प ग्राम ढीण्ढा में पेश हुई। प्रार्थीगण, सरकार पैरोकार एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 01 तहसीलदार जोबनेर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं0 332/331 व 629/331 वाकै ग्राम ढींढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. की सीमा में हुई त्रुटि को सुधार कर दिनांक 21.06.2018 को किये गये विभाजन के अनुसार दुरूस्त करें। तहसीलदार जोबनेर को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2023 कैम्प कोर्ट ग्राम ढीण्ढा में टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर